5/8

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर
पीठासीन अधिकारी श्री महेन्द्र लोढ़ा

अपील संख्या 22/19 तारीख रज्जू– 22.07.19

1. कानजी पुत्र भीमा जाति बंजारा निवासी छान तहसील खण्डार जिला सवाई माधोपुर।

—अपीलार्थी

बनाम

2. सरकार जरिये नायब तहसीलदार खण्डार । —रेस्पोडेन्ट

निर्णय दिनांक 13.8.19

अपीलार्थी ने यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम,1956 की धारा 75 के अन्तर्गत नायब तहसीलदार खण्डार द्वारा मिसल संख्या 11/19 में पारित निर्णय दिनांक 16/07/19 के विरूद्ध प्रस्तुत की है, जिसके द्वारा अपीलार्थी को ग्राम छाण के आराजी ख0नं0 873 रकबा 0.03 बिस्बा किस्म चरागाह पर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कर कब्जा करने का कर्ता मानकर भूमि से बेदखल किये जाने, अर्थदण्ड बतौर शास्ति आरोपित करने के दण्ड से दण्डित करने का आदेश पारित किया गया है।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रत्यर्थी की तलबी जरिये नोटिस की गई तथा अपीलाधीन आदेश संबंधी अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली प्राप्त होने पर उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान वकील अपीलार्थी ने अपील में वर्णित तथ्यों का हवाला देते हुए बहस में तर्क दिया कि निर्णय अदालत मातहत खिलाफ कानून व रूयेदाद मिसल होने से निरस्तनीय है। विद्वान वकील अपीलार्थी ने बहस में यह भी तर्क दिया कि अदालत मातहत ने एकमात्र पटवारी हल्का की रिपोर्ट व बयान को आधार मानकर उक्त अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, जिसमें न तो अपीलार्थी को सुनवाई सबूत का अवसर दिया है और न ही निर्णय पारित करने से पूर्व मौके का निरीक्षण किया है। वर्तमान में उक्त वाद आराजीयात पर अपीलान्ट का कोई कब्जा काश्त नहीं है, साथ ही पटवारी हल्का द्वारा अपनी रिपोर्ट में अपीलान्ट का पश्चातवर्ती अतिक्रमण होना बताया है, लेकिन अदालत मातहत की पत्रावली में ऐसा कोई दस्तावेज संलग्न नहीं है। जिससे अपीलान्ट का उक्त वाद आराजीयात पर पूर्व में अतिक्रमण होना साबित होता है। अपीलान्ट का उक्त वाद आराजीयात पर पूर्व में अतिक्रमण नहीं था, साथ ही अदालत मातहत द्वारा अपीलान्ट को जारी नोटिस में भी अपीलान्ट के प्राप्ति के कोई हस्ताक्षर नहीं है तथा उक्त वाद आराजीयात के संबंध में पूर्व में ग्राम पंचायत द्वारा आबादी विस्तार हेतु भूमि आरक्षित करने के संबंध में प्रस्ताव तैयार करवाकर उप जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। लेकिन उप जिला कलेक्टर तथा जिला कार्यालय द्वारा उक्त प्रस्ताव का आंदिनांक तक कोई निस्तारण नहीं किया गया

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

है, साथ ही वकील अपीलान्ट ने अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय निरस्त फरमाने हेतु निवेदन किया है।

विद्वान वकील अपीलार्थी द्वारा की गई बहस का खण्डन करते हुए पेरोकार सरकार ने बहस में तर्क दिया कि अदालत मातहत द्वारा अपीलार्थी को सुनवाई सबूत का अवसर प्रदान करने तथा अतिक्रमित आराजी पर अपीलार्थी का पश्चातवर्ती अतिक्रमण पाये जाने के उपरान्त ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, जिसमें किसी प्रकार की अनियमितता व अवैधानिकता नहीं है। अतः अपील अपीलार्थी खारिज की जावे।

दोनों पक्षों की बहस सुनने उस पर मनन करने तथा पत्रावली का अवलोकन करने के पश्चात् यह निष्कर्ष निकलता है कि अदालत मातहत के समक्ष पटवारी हल्का द्वारा अपीलार्थी के विरूद्ध अतीचार की रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अपीलार्थी को सुनवाई सबूत हेतु धारा 91(3) का नोटिस जारी किया गया जिस पर अपीलार्थी स्वयं उपस्थित नहीं हुआ। जहां तक अपीलार्थी के पूर्ववर्ती अतिचारी होने के प्रश्न है तो इस संबंध में पूर्व में किये गये अतिचार के संबंध में सुद्रढ साक्ष्य या अभिलेख पत्रावली में उपलब्ध नहीं है। मात्र पटवारी हल्का के बयानों के आधार पर सिविल कारावास जैसी कठोर सजा का आदेश पारित किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। सिविल कारावास की सजा के लिए सुद्रढ अभिलेख का पत्रावली में अभाव पाया गया है। ऐसी अवस्था में सुद्रढ अभिलेख के अभाव में पारित किया गया सिविल कारावास की सजा का आदेश प्रथम दृष्टया उचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः उपरोक्त विवचेना के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से सिविल कारावास की सजा की इस तक स्वीकार की जाती है तथा शास्ति व बेदखली का आदेश यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 13.8.19 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(महेन्द्र लोढ़ा)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
सवाईमाधोपुर